(II) 31-8-09

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1362] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2009/भाद्र 10, 1931
No. 1362] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2009/BHADRA 10, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2009

का.आ. 2214(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 648(अ), तारीख 7 जुलाई, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग अर्थात् नशीराबाद ग्राम के पास 415.800 कि.मी. (क्रासिंग स्तर के स्थान पर) सड़क ऊपरी पुल और इसके पहुंच मार्ग के विनिर्माण, रखरखाव प्रबंधन और प्रचालन तथा जिला जलगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के 414.00 कि.मी. से 419.00 कि.मी. तक सुदृढ़ करने (जिसे इसमें इसके पश्चात् पुल कहा गया है) में अंतर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त वापसी, पुल में किए गए अतिरिक्त कार्य, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण राजस्व की हानि, यातायात की मात्रा और मै. अशोक कुमार वास्तुशिल्प प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1/2 रिवर व्यू अशोक स्तंभ, नासिक-422002 में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है), से हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर पुल के प्रयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रियायत की विस्तारित अवधि अर्थात् 3 नवम्बर, 2010 तक उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर संदत्त फीस संगृहित और प्रतिधारित करने के लिए रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं	यानों के प्रवर्ग	फीस की दर (रुपए में)
1.	मोटरसाईकिल, स्कूटर या कोई अन्य यांत्रिक रूप से नोदित दुपहिया यान	शून्य
2.	मोटरकार, टैक्सी, जीप, पिक अप वैन, स्टेशन वैगन, टैंपो, आटो-रिक्शा, तिपहिया, स्कूटर या अन्य आटो चालित हल्के यान ट्रेलर सहित या रहित	10.00
3.	बस	25.00
4.	ट्रक या टैंकर	30.00
5.	भारी यान जिसमें ट्रक, ट्रेलर संयोजन या अन्य यांत्रिक रूप से नोदित यान जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है जैसे मोबाइल क्रेन, डोजर्स, अर्थमूवर्स, रोड रोलर, कंटेनर	40.00

टिप्पण :

1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार पुल को पार करना हो तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पुल को पार करते समय उपरोक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट दर से डेढ़ गुना फीस का संदाय करे और जहां यान को पूरे मास में या उसके बाद भी लगातार और बार-बार पुल का उपयोग करना है तो यान का स्वामी ऊपर सारणी में यथाविनिर्दिष्ट एकल यात्रा के लिए लागू दर के तीस गुणा के समतुल्य प्रभार के संदाय पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

2. निम्न प्रकार के यान उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्राप्त हैं, अर्थात् :—

(i) रक्षा यान;

(ii) अतिविशिष्ट प्रतीक सहित यान;

(iii) पुलिस यान;

(iv) अग्निशमन यान;

(v) एंबूलेंस;

(vi) अंत्येष्टि यान;

(vii) डाक और तार विभाग के यान; और

(viii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यरूढ़ यान ।

3. निम्नलिखित शासकीय यान अतिविशिष्ट व्यक्ति प्रतीक वाले हैं, समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) भारत के राष्ट्रपति;

(ii) भारत के उप-राष्ट्रपति;

(iii) केन्द्रीय और राज्य मंत्री;

(iv) लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता जो कैबिनेट मंत्री स्तर के हैं;

(v) राज्यों के राज्यपाल;

(vi) संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

(vii) केन्द्रीय और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और सभापति;

(viii) स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यकारी काउंसलर;

(ix) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(x) सी डी (कार राजनयिक) सहित कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक ।

4. उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट दरों को पुल के समीप स्पष्ट स्थान पर उर्ध्व खड़े बोर्ड पर संप्रदर्शित किया जाएगा और रियायतग्राही या इसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि उपरोक्त फीस की प्रत्येक वसूली पर संदायकर्ता को रसीद देगा ।

[फा. सं. एनएच-6/12037/120/2003-एमएचए]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2009

S.O. 2214(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport, Department of Road Transport and Highways, Notification Number S.O. 648(E), dated the 7th July, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the part of National Highway that is Road Over Bridge in km. 415.800 (in lieu of level crossing) near Nashirabad village and its approaches and strengthening in km. 414.000 to km. 419.000 of National Highway No. 6 in district Jalgaon (hereinafter referred as the bridge), interest on the capital invested, reasonable return, extra work done in the bridge, loss of revenue due to transporter's strike, the volume of traffic and period of agreement entered into with M/s. Ashoka Vastushilp Private Limited having its Registered Office at 1/2 River View Ashok Stambh, Nashik-422002 (therein referred as concessionaire), hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the bridge at the rates specified in the following table and authorises the concessionaire to collect and retain the paid fees at the rates specified in the said table from the date of publication of this notification in the Official Gazette till the completion of the extended period of Concession i.e. up to 3rd November, 2010.

TABLE

Serial Number	Categories of vehicles	Rate of fee (Rs.)
1.	Motorcycle, scooter or any other mechanically two -wheeler propelled vehicle	Nil
2.	Motorcar, taxi, jeep, pick-up van, station wagon, tempo, auto rickshaw, three-wheeler scooter or other auto-driven light vehicles with or without trailer	10.00
3.	Buses	25.00
4.	Trucks or tankers	30.00
5.	Heavy vehicles including trucks, trailers combination, or other mechanically propelled vehicles not mentioned above like mobile crane, dozers, earth movers, road rollers, containers.	40.00

NOTES :

1. When a vehicle has to cross the bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rate as specified in the above table while crossing the bridge in the first trip itself and where a vehicle has to use the bridge continuously and frequently for entire month or even beyond that then the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in the above table.

2. Following types of vehicles are exempted from the fee specified in the above Table, namely :—

(i) Defence Vehicles;

(ii) Vehicles with VIP symbols;

(iii) Police vehicles;

(iv) Fire-fighting vehicles;

(v) Ambulances;

(vi) Funeral vans;

(vii) Posts and Telegraph Department vehicles; and

(viii) Central Government and State Government vehicles

3. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbol, namely :—

(i) the President of India;

(ii) the Vice-President of India;

(iii) Central and State Minister;

(iv) Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislature having the status of Cabinet Minister;

(v) Governors of States;

(vi) Lieutenant Governors of Union Territories;

(vii) Speaker and Chairman of Central and State Legislature;

(viii) Executive Councilor of Local Elected Bodies;

(ix) Foreign dignitaries on State Visit of India;

(x) Foreign diplomats stationed in Indian using cars with CD (Car Diplomatic) symbols.

4. The rates specified in the above table shall be displayed on a board erected at conspicuous places in the vicinity of the bridge and the concessionaire or its authorised legal representative shall give a receipt to the payer on each and every occasion of recovery of the aforesaid fee.

[F. No. NH-6/12037/120/2003-MAH]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064